रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 261] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 1977/श्रावण 14, 1899
No. 261] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 1977/SRAVANA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDERS

New Delhi, the 5th August 1977

G. S. R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No GSR 448(E) dated the 20th August, 1975, the Central Government hereby makes the following amendments in Part II of the First Schedule to the said Act, with effect from the expiration of sixty days from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

(a) Under the heading "Eastern Group", for the existing entries relating to the District of Tinnevelly, the following entries shall be substituted, namely:—

Name of Port	Vessels chargeable	Rate of port dues	Due how often chargeable in respect of same vessel
(1)	(2)	(3)	(4)
		Foreign Vessels	
District Port "Tinnevelly New Tuticorin	Sea-going vessels of fifteen tons and upwards	(a) In the case of foreign ships or steamers calling at the Port of New Tuticorin not exceeding one Rupee and fifty Paise a ton.	The dues are payable on each entry into the port

(1)	(2)	(3)	(4)
		Coasting Vessels :	
		(b) In the case of coasting ship or steamer calling at the Port of New Tuticorin not exceeding one Rupee and fifty Paise a ton	The payment of the dues at the port will exempt the ship or steamer for a period of thirty days from liability to pay the dues again at that port.
		(c) Tugs, Launches, Inspection launches, etc. not included above, not exceeding one Rupee and fifty Paise a ton.	The dues are payable once in sixty days "

(b) Under the heading "Explanations to Part II of the First Schedule", in *Explanation* 1, in clause (bb), after the word "Madras", wherever it occurs, the words "New Tuticorin" shall be inserted.

[No. F. PGR-3/77-I]

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 552(अ) —केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मत्रालय (परिवहन पक्ष) के आदेश स० मा० का० नि० 448 (अ) तारीख 20 अगस्त, 1975 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 2 मे, राजपत्र मे इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनो की समाप्ति से, निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् :—

(क) "पूर्वी समूह" शीर्षक के नीचे जिला तिन्नेवेली मे सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएंगी, अर्थात् —

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तनशुल्क की दर	एक ही जलयान की बाबत शुल्क कितनी बार प्रभार्य होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
जिला पत्तन तिन्नेवेली नव तूतीकोरिन	पन्द्रह टन और उसके ऊपर के सागरगामी जलयान	**विदेशी जलयान** (क) नव तूतीकोरिन पत्तन पर आने वाले विदेशी पोतो या स्टीमरो की दशा मे अधिक से अधिक एक रुपये पचास पैसे प्रति टन	पत्तन मे प्रत्येक बार प्रवेश पर शुल्क देय है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
	तटवर्ती जलयान :		
	(ख) नवतूतीकोरिन पत्तन पर आने वाले तटवर्ती पोत या स्टीमर की दशा में अधिक से अधिक एक रुपये पचास पैसा प्रति टन ।	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने पर पोत या स्टीमर से उस पत्तन पर तीस दिन तक पुन: शुल्क नहीं लिया जाएगा ।	
	(ग) कर्पनावों (टग), लांचों, निरीक्षण लांचों आदि की दशा में, जिन्हें ऊपर सम्मिलित नहीं किया गया है, अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसा प्रति टन ।	शुल्क साठ दिन में एक बार देय है ।'	

(ख) "प्रथम अनुसूची के भाग 2 का स्पष्टीकरण" शीर्षक के नीचे स्पष्टीकरण 1 में खण्ड (खख) में, जहां कहीं "मद्रास" शब्द आया है उसके पश्चात् "नवतूतीकोरिन" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० फा० पी०जी०आर०-3/771]

G.S.R. **553(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing)'s No. GSR 449(E), dated the 20th August, 1975, namely :—

In the Schedule to the said Order, item "I. Foreign Vessels—" and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. F PGR-3/77-II]

V. R MEHTA, Jt Secy.

सा०का०नि० 553(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) के आदेश सं० सा० का० नि० 449 (अ) तारीख 20 अगस्त, 1975 मे निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की अनुसूची मे, मद "1 विदेशी जलयान" और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियो का लोप किया जाएगा ।

[स० फा० पी० जी० आर०-3 77-II]

वी० आर० मेहता, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977